प्रेस ब्रीफ

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अनुसार 12 फरवरी 2020 को केरला विधान मण्डल के पटल पर यह लेखापरीक्षा रिपोर्ट (राजस्व क्षेत्र) 2018 प्रस्तुत की गई।

इस रिपोर्ट (राजस्व क्षेत्र) में पांच अध्यायों में 18 पैराग्राफ समाविष्ट हैं। पंजीकरण विभाग में ऑपन पर्ल के कार्य पर निष्पादन लेखापरीक्षा, ऑपन पर्ल द्वारा यथा परिकल्पित पंजीकरण प्रक्रिया के प्रस्तावित उद्देश्यों की अनुपलब्धि के मुद्दे प्रकाश में लाती है। रिपोर्ट के उध्याय 1 के पैराग्राफों में 2017-18 के दौरान केरला सरकार की राजस्व प्राप्तियों, आयोजित लेखापरीक्षाएं, जारी रिपोर्टों तथा निपटान की गई टिप्पणियों की समीक्षा हैं। अन्य अध्यायों में ध्यान में आए रु.938.56 करोड की राशि के कुछ अनुपालन मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है।

I. सामानय

- वर्ष 2017-18 हेतु राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां, पिछले वर्ष के रु.75,611.72 करोड के पक्ष में रु. 83,020.14 करोड थे। इस राशि का 69 प्रतिशत राज्य द्वारा कर राजस्व (रु.46,459.61 करोड) तथा करेतर राजस्व (रु.11,199.61 करोड) के माध्यम से उत्थित किया गया था। शेष 31 प्रतिशत विभाज्य संघ करों (रु.16,833.08 करोड) तथा सहायता अनुदान (रु.8,527.84 करोड)में राज्य के हिस्से स्वरूप भारत सरकार से प्राप्त किया गया था।

(पैराग्राफ 1.1.1)

- 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार राजस्व के कुछ प्रधान शीर्षों पर राजस्व बकाए रु.14,904.91 करोड थे जिनमें से रु.5,514.14 करोड, पांच वर्षों से अधिक अवधि के लिए बकाए रहे थे।

(पैराग्राफ 1.2)

- जून, 2018 के अंत तक विभिन्न विभागों से संबंधित 3,340 निरीक्षण रिपोर्टें, जिनमें रु.8,575.04 करोड के धन मूल्य को अंतर्विष्ट करने वाली 26,690 टिप्पणियां समाविष्ट थी, लंबित थी।

(पैराग्राफ 1.7)

II. बिक्री, व्यापार आदि पर कर/ मूल्य वर्धित कर

- के वी ए टी आई एस के अपीलीय मोड्यूल की अनुपलब्धता के कारण विभागों द्वारा अपीलों की प्राप्ति तथा निपटान का अनूवीक्षण नहीं किया जा सका जिसके कारण लंबित पिछले अपीलीय मामलों का ढेर पड गया।

(पैराग्राफ 2.4.1)

- विवादित कर के 20 प्रतिशत के प्रेषण करने के बाद 557 व्यापारियों द्वारा कोई अपील दर्ज नहीं की गई थी और विभाग ने राजस्व वसूली की प्रक्रिया भी शुरू नहीं की जिसके फलस्वरूप रु.10.57 करोड के राजस्व की गैर-वसूली हुई।

(पैराग्राफ 2.4.2)

- प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा निपटान किए गए रु.372,59 करोड के कर प्रभाव वाले 479 अपीलीय मामले आशोधन/निपटान हेतु संबंधित मूल्य निर्धारण प्राधिकारियों के पास लंबित रहे थे ।

(पैराग्राफ 2.4.3)

- कर की गलत दर लगाने, निर्धारण से विक्रय राशि बचाने तथा निर्धारण में परिकलन की गलतियों के कारण आठ मामलों में रु. 21.74 करोड की राशि की अल्प उगाही देखी गई।

(पैराग्राफ 2.5)

- एक्सट्रा न्यूट्रल आल्कहॉल (ई एन ए) की आवक आपूर्ति पर रु.46.54 करोड के एकीकृत माल एवं सेवा कर (आई जी एस टी) की गैर –उगाही के कारण रु.23.27 करोड (पचास प्रतिशत अपक्षय) की हानी हुई।

(पैराग्राफ 2.6)

III. भूराजस्व एवं भवन कर

- विभाग द्वारा उच्चतम सीमा के मामलों का ताल्लुक/ ताल्लुक भू-बोर्ड वार विस्तृत डाटा बेस अनुरक्षित नहीं किया गया था जो कि अधि भूमि के पहचान, संरक्षण और उपयोग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है ।

(पैराग्राफ 4.4.1)

- चुने गए पांच जिलाओं में, 6.0702 हेक्टेयर (15 एकड) के जमीन के 184 पंजीकृत दस्तावेज, जो 5,192.4161 हेक्टयर (दस्तावेज के अनुसार रु.311.35 करोड के मूल्य से युक्त) के जमीन समाविष्ट करते थे, की पहचान उच्चतम सीमा की प्रारंभिक कार्रवाई करने के लिए राजस्व विभाग द्वारा नहीं की गई।

(पैराग्राफ 4.4.2)

- 12,574.5135 हेक्टयर को समाविष्ट करने वाले 372 मामलों में से 358 मामलों (96.24 प्रतिशत) के संबंध में भू-कर भुगतान ब्योरे स्वीकृत करते समय विभाग द्वारा उच्चतम सीमा से अतिरिक्त भूमि की रिपोर्ट नहीं की गई थी।

(पैराग्राफ 4.4.3)

- ताल्लूक कार्यालय द्वारा रिपोर्ट किए गए 197 मामलों में से 2,141.7317 हेक्टयर (उचित मूल्य के अनुसार रु.499.44 करोड के मूल्य से युक्त) को समाविष्ट करने वाले 114 मामलों (57.87 प्रतिशत) के संबंध में कोई उच्चतम सीमा कार्रवाई आरंभ नहीं की गई थीं।

(पैराग्राफ 4.4.4)

IV. अन्य कर प्राप्तियां

1. राज्य उत्पाद

- उत्पाद कर उगाही के लिए विक्रय के आयात शुल्क के घटक को शामिल न करने के कारण वर्ष 2016-17 तथा वर्ष 2017-18 में रु. 4.72 करोड की राजस्व हानि हुई।

(पैराग्राफ 5.5)

2. स्टांप शुल्क तथा पंजीकरण शुल्क

<u>पंजीकरण विभाग में ऑपन पर्ल के कार्य पर निष्पादन लेखापरीक्षा</u>

- लक्ष्यों की प्राप्ति में अत्यधिक देरी।

(पैराग्राफ 5.12.7.1)

- कारोबार निरंतरता योजना/ आपदा प्रतिलाभ योजना का अभाव तथा बैकअप किए डाटा की जांच और पुन:स्थापित करने में विफलता।

(पैराग्राफ 5.12.7.2)

- उपभोक्ताओं को सेवाएं प्रदान करने में कोई सुधार नहीं। मैनुअल सिस्टम की तुलना में पंजीकरण प्रक्रिया अधिक समय लेती हैं। इलक्ट्रोनिक दस्तावेजों के वितरण के लिए कोई प्रावधान नहीं था। पासवर्ड सुरक्षा के अभाव बिना रुकावट के प्रिंटआउट लेने की सुविधा ई-स्टांपों को असुरक्षित करने के कारण सुरक्षा का मामला जोखिम पूर्ण था।

(पैराग्राफ 5.12.7.3, 5.12.7.4 तथा 5.12.10)

- कंप्यूटरीकरण के बावजूद काम का बोझ कम नहीं होना।

(पैराग्राफ 5.12.8.1)

- अपूर्ण तथा/या गलत डाटा त्रुटिपूर्ण प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम आई एस) रिपोर्टें तथा नियंत्रण पंजियां उत्पन्न करने का कारण बना।

(पैराग्राफ 5.12.8.4)

<u>स्टांप शुल्क तथा पंजीकरण शुल्क की अल्प उगाही</u>

- एस आर ओ, एरणाकुलम में फ्लाट/ अपार्टमेंट मालिकों तथा डिवलेपर्स/ बिल्डर्स के बीच की गई 237 करारों के गैर-पंजीकरण के कारण रु.11.06 करोड की राजस्व हानी।

(पैराग्राफ 5.3)